फर्द अहकाम

मैसर्स जिनोन बाइक्स प्राईवेट लि0 बनाम मंगली वगै0

संख्याः 89/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
09.05.2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्थान अधिनियम 1956 का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस एवं जवाब हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 22.05.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	नोटिस जारी 2349-65 9/5/24
22/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की तामील नोटिस व रजि० डाक द्वारा रजिस्ट्री रसीदें पेश की व आ.कि.धा. वाले गौर तामील हेतु पत्रावली दि० 29/5/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
29/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना अनुपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रा०पत्र 111 व 128 भू-राज० अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 89 / 2024
निर्णय दिनांक : 29.05.2024

मैसर्स जिनोन बाइक्स प्राईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक रक्षित बिनाख्किया पुत्र श्री संजय बिनाख्किया, पंजीकृत कार्यालय 251, न्यू आतिश मार्केट, जयपुर।

....प्रार्थी

बनाम

मंगली देवी पत्नी भंवर लाल शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम देवलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

2. कैलाश पुत्र रोडू, जाति माली, निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. कालू पुत्र रामकुंवार, जाति माली, निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. गंगाराम पुत्र रोडू, जाति माली, निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. ग्यारसीलाल पुत्र रोडू, जाति माली, निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. [illegible] पुत्र मांगू, जाति माली, निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. [illegible]लाल पुत्र रोडू, जाति माली, निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. [illegible]दकिशोर पुत्र जगदीश, जाति माली, निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
9. नैना पत्नी जगदीश, जाति माली, निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
10. नारायण पुत्र मांगू, जाति माली, निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
11. प्रभातीलाल पुत्र चन्दालाल, जाति माली, निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
12. भूराराम पुत्र रोडू, जाति माली, निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
13. मुकेश पुत्र जगदीश, जाति माली, निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
14. राकेश पुत्र जगदीश, जाति माली, निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
15. सोहन पुत्र रोडू, जाति माली, निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
16. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.... अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रार्थना–पत्र बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मैसर्स जिनोन बाइक्स प्राईवेट लिमिटेड का निदेशक है जो प्रार्थी कम्पनी का मालिक एवं स्वामी है, इसीलिए प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है। ग्राम मुहाना, पटवार हल्का मुहाना, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि हाल खाता संख्या 719 में भूमि खसरा नम्बर 139 रकबा 0. 0800 हैक्टेयर का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार प्रार्थी कम्पनी है। इसी प्रकार का इन्द्राज राजस्व जमाबन्दी 2074–2077 जमावब्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी में अंकित है। प्रार्थी ने अपनी उक्त आराजी कृषि भूमि का तहसीलदार सांगानेर के आदेश क्रमांक सीमाज्ञान/2024/2598–2599 दिनांक 22.04.2024 के द्वारा सीमाज्ञान दिनांक 23.04. 2024 को करवाया गया जिसके अनुसार प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 139 के उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 140 स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 15 है, पश्चिम व दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 138 स्थित है जिसका खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 1 है, एवं पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 137 स्थित है जिसका खातेदार काश्तकार प्रार्थी स्वयं है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 आये दिन प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखल अन्दाजी करते रहते है और जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है जिस कारण प्रार्थी अपनी आराजी कृषि भूमि को सुरक्षित रखने के लिए उक्त भूमि पर स्थाई सीमाचिन्ह कायम करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहते है और उक्त भूमि पर तारबन्दी करना चाहते है जिससे भविष्य में कोई पडौसी खातेदार काश्तकार किसी भी प्रकार का वाद–विवाद नही करे इसलिए प्रार्थी को उक्त भूमि पर स्थाई सीमाचिन्ह कायम करवाया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता हो गई है। ग्राम मुहाना, पटवार हल्का मुहाना, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित होने से श्रवणाधिकार श्रीमान न्यायालय में निहित है।

अतः प्रार्थना है प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि हाल खाता संख्या 719 के खसरा नम्बर 139 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, कुल किता 1 रकबा 0.0800 हैक्टेयर ग्राम मुहाना, पटवार हल्का मुहाना, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 23.04.2024 के अनुसार जरिये पुलिस इमदाद स्थाई सीमाचिन्ह कायम किये जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना अनुपस्थित।

पत्रावली में उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि हाल खाता संख्या 719 के खसरा नम्बर 139 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, कुल किता 1 रकबा 0.0800 हैक्टेयर ग्राम मुहाना, पटवार हल्का मुहाना, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 23.04.2024 के अनुसार जरिये पुलिस इमदाद स्थाई सीमाचिन्ह कायम किये जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

बहस उपस्थित अधिवक्तागण व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अन्य किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी की ग्राम मुहाना, पटवार हल्का मुहाना, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खाता संख्या 719 के खसरा नम्बर 139 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, कुल किता 1 रकबा 0.0800 हैक्टेयर नियमानुसार सूचित कर समस्त उभयपक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार तहसीलदार सांगानेर की सीमाज्ञान मौका–फर्द रिपोर्ट दिनांक 23.04.2024 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिग्विजय सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)